

राजस्थान - सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2023/2024/ 72 दिनांक : 04/03/2024

- आदेश :-

निम्न लिखित सेवारत चिकित्सक का उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का अध्ययन अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० करतार सिंह बैरवा	03.01.1990	26.07.2017	सर्जरी	01.11.23 से 31.10.26

जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० मोहित गुर्जर	27.11.1984	28.12.2011	निश्चेतन	01.11.23 से 31.10.26
2	डॉ० हिमांशु सिंघल	31.03.1991	07.10.2017	फिजियोलोजी	03.11.23 से 02.11.26
3	डॉ० विक्रमादित्य सिंह	25.02.1989	10.02.2014	फिजियोलोजी	01.11.23 से 31.10.26
4	डॉ० मनीष कुमार शर्मा	05.02.1992	15.10.2018	मेडिसिन	06.11.23 से 05.11.26
5	डॉ० योगेश राय वर्मा	26.08.1993	29.08.2018	मेडिसिन	01.12.23 से 30.11.26

आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० होजेफा वैयकार्या	08.08.1981	26.03.2015	शिशु रोग	01.11.23 से 31.10.26
2	डॉ० रामा राम	27.07.1992	27.03.2020	मेडिसिन	08.11.23 से 07.11.26
3	डॉ० कमलेख रूपडला	07.07.1991	11.08.2017	अस्थि रोग	01.11.23 से 31.10.26
4	डॉ० शिल्पा माईडा	10.10.1987	19.12.2018	मेडिसिन	01.11.23 से 31.10.26
5	डॉ० अमित सिंह	01.07.1995	28.03.2020	रेडियोडायग्नोसिस	01.11.23 से 31.10.26
6	डॉ० रामभजन मीना	10.10.1991	26.03.2020	टीबी एण्ड चेस्ट	01.11.23 से 31.10.26

सामान्य चिकित्सालय, चित्तौडगढ

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० विजय सिंह मीना	01.06.1981	10.05.2013	डीएनबी (स्त्री एवं प्रसूति रोग)	27.10.23 से 26.10.25

उक्त आदेश के पूर्व में अध्ययन अवकाश का लाभ प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में ही मान्य होगा एवं अग्रिम कार्यवाही से पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय अध्ययन अवकाश की सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित कर लें।

उक्त आदेश राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.07.2022 के अनुसरण में जारी किये गए हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 04/03/2024

क्रमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2023/2024/72

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर, राजस्थान ।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान ।
5. कार्यालय अधीक्षक एटीसी/डीपीसी सैल, राजपत्रित मुख्यालय ।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
7. रक्षित/निजी पत्रावली ।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
5879737

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <director-ph-r@pic.in>.

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation : Director
Date : 01-03-2024 12:06:50